बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–अ०सां०नि०/स्था०17–27/2018 344 पटना, दिनांकः 28.9.18

<u>कार्यालय आदेश</u>

श्री शिव कुमार प्रसाद, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, कांटी प्रखंड, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध खरीफ विपणन मौसम–2012–13 में धान अधिप्राप्ति में 307.90 क्विंटल धान में की गयी क्षति/गबन के लिए जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–239/आपूर्त्ति दिनांक–28.01.2016 द्वारा समर्पित आरोप प्रपत्र के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०–67 सहपठित ज्ञापांक– 511 दिनांक–11.03.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी थी। इस विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), मुजफ्फरपुर द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन पर नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए निदेशालय के का०आ०सं०–08 सहपठित ज्ञापांक– 41 दिनांक–05.01.2018 द्वारा श्री शिव कुमार प्रसाद पर संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित किया गया तथा क्षति/गबन की राशि की नियमानुकूल वसूली हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया गया है।

2. निदेशालय के उक्त आदेश के विरूद्ध श्री शिव कुमार प्रसाद द्वारा माननीय उंच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 9535/2018 में दिनांक 18.05.2018 को पारित न्यायादेश का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है :–

" The present writ petition is disposed of with liberty to the petitioner to file appeal before the competent authority within a period of four weeks from today and in case, such an appeal is filed by the petitioner herein, the competent authority shall consider the same on merits and dispose of the same by a reason and speaking order after giving an opportunity of hearing to the petitioner herein.

It is directed that in the meantime, till the disposal of the appeal, no recovery shall be made from the petitioner herein. "

3. उक्त न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्त्ता श्री शिवकुमार प्रसाद द्वारा दिनांक–11.06.2018 को समर्पित अपील अभ्यावेदन में उनके द्वारा मुख्य रुप से निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है :–

धान के सुरक्षित भंडारण की समुचित व्यवस्था नहीं थी और अनेकों बार पत्राचार करने के बाद भी बिहार राज्य खाद्य निगम के द्वारा धान का उठाव नहीं किया गया। दिनांक21.04.2013 एवं 22.04.2013 को भारी वर्षा–ऑधी के कारण धान का पलास्टिक फट गया और धान वर्वाद होना शुरू हो गया ।

धान का उठाव नहीं होने, वर्षा के चलते धान में नमी होने तथा असुरक्षित भंडारण के कारण पशुओं एवं चूहों द्वारा धान नष्ट किये जाने के कारण कुल 307.90 क्विंटल धान की क्षति हुई जिसके लिए वे जिम्मेवार नहीं हैं।

4. श्री शिवकुमार प्रसाद द्वारा प्राप्त अपील अभ्यावेदन पर दिनांक–02.07.2018 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा सुनवाई की गयी एवं उनके पक्ष को सुना गया।

प्रस्तुत तर्क एवं साक्ष्यों तथा अभिलेख में संलग्न साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री शिवकुमार प्रसाद, क्रय केन्द्र प्रभारी थे और क्रय–केन्द्र प्रभारी होने के नाते धान की सुरक्षा की जिम्मेवारी उनकी थी जिसका सम्यक रूप से इनके द्वारा निर्वहन नहीं किया गया, जिसके चलते 307.09 क्विंटल धान जिसका मूल्य 437525.90 (चार लाख सैतीस हजार पॉच सौ पच्चीस रूपये नब्बे पैसा) होता है का गबन /क्षति हुआ । श्री प्रसाद यह प्रमाणित करने में असफल रहे कि उक्त धान की गर्बन/क्षति के लिए ये उत्तरदायी नहीं हैं।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,बिहार, पटना के का०आ०सं०–08 सहपठित ज्ञापांक–41 दिनांक 05.01.2018 द्वारा श्री शिव कुमार प्रसाद पर अधिरोपित दंड नियमानुकूल एवं विधि–सम्मत है।

अतः अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,बिहार, पटना के उक्त आदेश के विरूद्ध श्री शिव कुमार प्रसाद के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

सचिव

ज्ञापांक :– अ०सां०नि०/स्था०17–27/2018 1999 पटना, दिनांक : 28.09.18

प्रतिलिपि :– निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/पश्चिम चम्पारण।
3. कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/पश्चिम चम्पारण।
4. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/पश्चिम चम्पारण।
5. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिकटा प्रखंड, पश्चिम चम्पारण।
6. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
7. श्री शिव कुमार प्रसाद, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, सिकटा प्रखंड, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव